**न्यायालय :—उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर(पाली)**
**पीठासीन अधिकारी :—श्री राजेश मेवाड़ा आर.ए.एस.**
**राजस्व वाद संख्या :— 01 / 2020** (नया मुकदमा नम्बर 04/2022)
**प्रकरण दर्ज तिथि :— 20.08.2020**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1. भंवरलाल पुत्र भोमाराम उम्र 68 वर्ष जाति रेगर निवासी रेगरान मोहल्ला झुंठा तह. रायपुर | | 1. जोगाराम पुत्र भंवरलाल<br>2. किशोर पुत्र भंवरलाल जाति रेगर निवासी रेगरान मोहल्ला झुंठा तह. रायपुर |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5, 9, 23, 24,25 राज्य नियम 2 माता पिता का भरण पोषण अधिनियम का रिव्यु प्रार्थना पत्र**

उपस्थित 1 अप्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र भंवरलाल

**निर्णय** **दिनांक: 25.03.2022**

प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र भोमाराम की ओर से वकील श्री भवानीसिंह सोलंकी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 4, 5, 9, 23, 24, 25 राज्य नियम 2 माता पिता का भरण पोषण अधिनियम के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया था। जिसमें प्रार्थी भंवरलाल पुत्र भोमाराम व उनकी पत्नि के जीवीत काल तक दोनों भाई प्रत्येक माह की 1, 2, 3 तारीख तक भंवरलाल के खाते में 2000—2000 रूपये जमा करवायेगें, अगर दोनों पुत्रों के द्वारा 2000—2000 रूपये समय पर जमा नही करवाने पर प्रति दिन 50 रूपये पेनल्टी देना होगा, भंवरलाल व उनकी पत्नि के बिमारी / दवाईयों एंव अन्य कोई खर्चा होने पर उसका भुगतान दोनो पुत्रों के द्वारा आधा—आधा वहन करने के आदेश दिनांक 10.02.2021 दिये गये थे।

अप्रार्थी संख्या 01 श्री जोगाराम पुत्र भंवरलाल ने न्यायालय में आज दिनांक 25.03.2022 को उपस्थित होकर श्रीमान् के आदेश को रिव्यु करवाने हेतु प्रार्थना पेश किया गया। पेश प्रार्थना पत्र में, जोगाराम लम्बे समय से बीमार चल रहा हैं और लम्बे समय से खाने—कमाने नहीं जा रहा हैं। बडी मुश्किल से जोगाराम, अपनी पत्नि तथा चार बच्चे का जीवन यापन कर रहा हूं एवं कभी कभी समय पर खाने की व्यवस्था करने में असमर्थ हूं।पिछले सप्ताह जोगाराम का आपरेशन करवाया हैं इसीलिए मैं अभी कही भी बाहर कमाने नही जाने के कारण मुझ अप्रार्थी के विरूद्ध पारित प्रार्थी श्री भंवरलाल को 2000 रू देने के आदेश को रिव्यु करवाकर मुझ अप्रार्थी जोगाराम से प्रार्थी को भरण पोषण की रकम देने में असमर्थता होने से माफ करवावें, जिससे मैं अप्रार्थी मानसिक हानि से बच सकूं। प्रार्थी श्री भंवरलाल के पास 3—10 बीघा कृषि भूमि हैं तथा उनके एवं उनकी पत्नि के 1000—1000रू पेन्शन वृद्वावस्था आती हैं तथा मनरेगा से भी कमाते हैं। इसीलिए मुझ अप्राथी जोगाराम को उक्त आदेश से बरी करवाने की कृपा करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 के मौखिक कथनो एवं प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो से उक्त आदेश आंशिक रूप से अस्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 श्री जोगाराम पुत्र भंवरलाल जाति रेगर निवासी झूठा द्वारा भरण पोषण के 2000 रू प्रार्थी श्री भंवरलाल पुत्र भोमाराम को देने पर रोक लगाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम हों।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 25.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (पाली)